राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांकःप.1(3)गृह–13/2021 दिनांक : –21/01/2022

परिपत्र

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विवाह समारोह में बिंदोली रोकने, वर/वधू को घोडी पर नहीं बैठने देने, बारातियों से मारपीट करने एवं बैण्ड आदि नहीं बजाने देने जैसी घटनाएँ घट रही हैं, जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एंव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 एवं 2018, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में ऐसे कृत्यों को दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त घटनाओं को रोकने के लिए निवारणात्मक एवं घटना के घटित होने पर विधिक कार्यवाही करने के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं, जिनकी कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेः–

A- निवाराणात्मक कार्यवाही–

(1) यह कि सम्बन्धित थानाधिकारी व बीट क्षेत्र का बीट अधिकारी ऐसे स्थान का सर्वे कर उस क्षेत्र को चिन्हित करें, जहाँ पूर्व में ऐसी घटनाएँ घटित हुई हो या दलित वर्ग व अन्य वर्गों के मध्य तनाव/विवाद हो तथा जहाँ अभी तक विधिविरूद्व रूढीवादी परम्पराएँ प्रचलित हो। ऐसे क्षेत्रों को **संवेदनशील क्षेत्र** के रूप में चिन्हित किया जाये एवं ऐसे क्षेत्र को बीट अधिकारी अपनी बीट बुक एवं थानाधिकारी वीसीएनबी में इन्द्राज करे।

(2) यह कि चिन्हित क्षेत्रों में सम्भावित व्यक्तियों की पहचान करें जो इस प्रकार की घटना गठित कर सकते हो एवं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करें, जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107/116 में परिवाद सक्षम न्यायालय में पेश कर, ऐसे व्यक्तियों पर अविलम्ब सम्मन तामिल करायें एवं उन्हें परिशान्ति भंग या लोक प्रशान्ति विक्षुब्द के सम्बन्ध में पाबन्द कराये।

(3) यह कि पूर्व से पाबन्दशुदा आरोपीगणों के विरूद्ध आवश्यकता होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 122 में कार्यवाही करें।

(4) यह कि विवाह समारोह में कानून व्यवस्था की स्थिति का आंकलन कर आवश्यकता अनुसार पुलिस बल नियोजित करें।

(5) यह कि सभी बीट कॉन्सटेबल/बीट प्रभारी अपने बीट क्षेत्र में सम्बन्धित पंच/सरपंच/पार्षद/सीएलजी सदस्य/पुलिस मित्र एवं सम्बन्धित समुदायों के साथ समन्वय कर समुदायों के मध्य सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से बैठक आयोजित करें एवं उक्त सामाजिक कुरीति को समाप्त किये जाने में उपस्थित व्यक्तियों को बताये। इस सम्बन्ध में आमजन को विधिक स्थिति से भी अवगत कराये।

(6) यह कि वैवाहिक कार्यक्रम/समारोह के दौरान मार्ग चिन्हित करें एव जहां ऐसी घटना के गठित होने की सम्भावना हो वहा वीडियोग्राफी करायें।

(7) यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय कार्मिकों यथा ग्राम विकास अधिकारी/ पटवारियों/ अध्यापक/ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं उन्हे विधिक स्थिति से अवगत कराया जाये। जहां ऐसी घटना के गठित होने की सम्भावना है, इस सम्बन्ध मे सम्बन्धित थाना, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का सूचित करें।

B- घटना घटित होने के पश्चात की जाने वाली कार्यवाहीः–

(1) यह कि ऐसी घटना घटित होने की सूचना मिलने पर उस स्थान पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित करे। सम्बन्धित उप पुलिस अधीक्षक/अति0 पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुँचकर विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे ताकि कानून–व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।

(2) यह कि ऐसी घटना घटित होने की सूचना मिलने पर सम्बन्धित थानाधिकारी समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ करें एवं आरोपियों को गिरफ्तार करवायें।

(3) यह कि सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त ऐसी घटना घटित होने पर सूचना अविलम्ब इलेक्ट्रानिक माध्यम के मार्फत सम्बन्धित रैन्ज महानिरीक्षक व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) एवं ए.एच.टी. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करें।

(4) यह कि पीडितों/घायलों को चिकित्सकीय व अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जावे।

(5) यह कि पीडितों/घायलों को अविलम्ब राहत राशि दिलवाये जाने के सम्बन्ध मे समुचित प्रस्ताव जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करें।

(6) यह कि अनुसंधान के दौरान महत्वपूर्ण समस्त मौखिक / दस्तावेजी/इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों का संकलन कर गवाहान के बयानों एवं घटनास्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करवाई जावे।

(7) यह कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुसंधान हेतु पृथक से अनुसंधान दल गठित किया जावे।

(8) यह कि प्रकरण में अनुसंधान प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करे एवं न्यायालय में आरोप–पत्र पेश किया जावे।

C- अनुसंधान पूर्ण होने परः–

(1) यह कि ऐसे प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम मे लिया जाये। प्रकरण का सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी ऐसे प्रकरणों में समुचित रूप से पर्यवेक्षण करे एवं उच्च अधिकारियों को अवगत करायें।

(2) यह कि प्रकरण के परिवादी व गवाहों को राजस्थान साक्षी संरक्षण योजना, 2020 में समुचित सुरक्षा उपलब्ध करायें।

(3) यह कि अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15(क) में पीडित व साक्षी के अधिकार वर्णित है, उसके अनुरूप भी कार्यवाही करें।

D- प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यवाहीः–

(1) यह कि ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 10(क) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 में सामूहिक जुर्माना अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करें।

(2) यह कि कई बार अनुसूचित जाति के सदस्यों के विवाह समारोह में संसाधनों को उपलब्ध नहीं कराने का जानबूझकर दबाव बनाया जाता है। ऐसी किसी संभावना के समय पर निस्तारण के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवश्यक आदेश जारी करायेंगे।

(3) यह कि प्रशिक्षण संस्थाओं में नवनियुक्त कार्मिकों के मूलभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम/विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इस प्रकार की घटनाओं को

रोकने एवं घटना गठित होने पर अनुसंधान के सम्बन्ध में उपायों को सम्मिलित कर प्रशिक्षण दे।

(4) यह कि पुलिस कार्मिकों के सम्बन्ध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) ऐसे पाठयक्रम को प्रशिक्षण में शामिल करें।

(5) यह कि प्रिन्ट/सोशल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कर जागरुकता अभियान चलाया जावे।

(6) यह कि सीएलजी/जनसहभागिता/शान्ति समिति के माध्यम से भी इस कुप्रथा एवं दुर्व्यवहार के निराकरण के सम्बन्ध में निरन्तर बैठक/शिविर आयोजित किये जावें।

(7) यह कि उक्त प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों/परिपत्रों के अधिक्रमण में इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।

शासन सचिव गृह

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक पुलिस, जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स), राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त/रैन्ज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. पुलिस उपायुक्त/समस्त पुलिस अधीक्षक।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव गृह